लोक सुनवाई का वृत

मेसर्स कृष्णा प्रसाद, ग्राम+पो0–परेव, थाना–बिहटा, जिला–पटना द्वारा गया जिला के **अंचल–इमामगंज, गया मोरहर–39 बालू घाट**, ग्राम–कुशेश्वर और रानीगंज, मोरहर नदी का क्षेत्रफल–99.0 हेक्टेयर बालू खनन करने हेतु पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत दिनांक–**29.09.2020** को पूर्वाहन् 11.00 बजे प्रखण्ड कार्यालय, इमामगंज, जिला–गया के सभागार में लोक सुनवाई आयोजित किया गया।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत राज्य पंर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी0.ओ0.आर0. (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या– SIA/1(a)/1054/2020, दिनांक–21.07.2020 के आलोक में **श्री संतोष कुमार श्रीवास्तव, अपर समाहर्ता (वि0जा0), गया** की अध्यक्षता में की गयी। **उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक–1)**

उक्त लोक सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा हिन्दुस्तान, प्रभात खबर, हिन्दुस्तान टाईम्स एवं टाइम्स ऑफ इंडिया के माध्यम से दिनांक–**23.08.2020** द्वारा प्रकाशित की गयी है **(प्रतिलिपि संलग्न)**। लोक सुनवाई के दौरान **श्री एस. एन. झा**, सहायक पर्यावरण अभियंता, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, गया द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित व्यक्तियों एवं सभी सम्बन्धित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की पृष्ठ–भूमि पर प्रकाश डाला गया।

इस परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार डा0 जतीन श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि खनन परियोजना में खनन कार्य बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित खनन योजना के अनुसार पूर्ण रूप से वैज्ञानिक विधि से किया जायेगा तथा इस प्रकार खनन करने से आस–पास के क्षेत्रों का भौगोलिक व पर्यावरणीय स्वरूप बना रहता है। इस परियोजना से राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती है जो प्रदेश के समेकित विकास के लिए आवश्यक है। इस परियोजना से क्षेत्र में रोजगार का भी सृजन होता है। जिनकी भर्ती में स्थानीय ग्रामवासियों को उनके अनुंभव के आधार पर वरीयता दी जायेगी। खनन बेंच बनाकर किया जाता है जिसकी ऊँचाई 1.5 मीटर व चौड़ाई 6 मीटर होगी। खनन कार्य रात्रि में पूर्ण रूप से बंद रहेगा। बालू ढुलाई के लिए वाहनों का संचालन राष्ट्रीय राजमार्ग जो कि खादानों से अस्थायी मार्गो द्वारा जुड़ा है। इन मार्गो का रख–रखाव भी परियोजना प्रस्तावक सुरक्षित करेंगे। ध्वनि प्रदूषण के मानकों को अनुंरूप बनाये रखने के लिए ग्रामीण इलाकों तथा खनन क्षेत्र के मध्य सघन छत्र वाले पौधों का रोपण किया जायेगा। हॉर्न का प्रयोग न्यूनतम स्तर पर किया जायेगा। प्रेशर हॉर्न का उपयोग वाहनों द्वारा नहीं किया जायेगा।

खनन कार्य एवं खनिज परिवहन में धूल–कणों का उत्सर्जन होता है जिसके नियंत्रण के लिए तीन बार जल का छिड़काव किया जायेगा तथा खनिज का परिवहन तिरपाल से ढक कर ही वाहनों का संचालन किया जायेगा। खनन क्षेत्र में उन्हीं वाहनों को प्रवेश मिलेगा जो पूरी तरह प्रदूषण मुक्त होंगे अर्थात् पी.यू. सी. प्रमाणित होंगे।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत कराया गया कि जिला गया में पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने के बाद बालू खनन का कार्य प्रारंभ होगा। बालू खनन का कार्य बहुत पुरानी विधि है परन्तु खनन क्रिया में पहले से बहुत सुधार हुआ है। खनन क्रिया पूर्ण रूप से वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। खनन क्षेत्र के आस–पास विस्तृत परियोजना विवरणी बनाया जाता है तथा सभी स्थितियों में वातावरण अनुकूल रहे इसका ख्याल रखा जाता है। पट्टाधारी द्वारा नियमानुसार बालू का खनन किया जायेगा साथ ही पर्यावरण संरक्षण के लिए कार्य किया जायेगा। जनता की भागीदारी महत्वपूर्ण होती है। पारदर्शिता के साथ खनन कार्य किया जायेगा। स्थानीय लोग बेहतर जानते है। इस कार्य में स्थानीय जनता का सहयोग/सुझाव/मंतव्य आवश्यक है।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य इस प्रकार हैः–

1. मो0 फैजल खान, पिता–मो0 जियाउद्दीन खान, ग्राम–लावावार, पो0–बाराकला कोठी, प्रखण्ड–इमामगंज, जिला–गया द्वारा पूछा गया कि बालू की ढुलाई घनी आबादी से होकर ग्रामीण रास्ता से किया जाता है इससे ध्वनि प्रदूषण की समस्या होती है।

उत्तर– पर्यावरण सलाहकार द्वारा बताया गया कि ऐसी वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जायेगी जिससे आबादी को परेशानी न हो। वाहनों द्वारा वाहनों की ढुलाई तिरपाल से ढककर किया जायेगा साथ ही पौधा रोपण भी किया जायेगा।

2. श्री संतोष कुमार, पिता–स्व0 भरत प्रसाद, ग्राम–रानीगंज, थाना–इमामगंज, जिला–गया द्वारा पूछा गया कि बालू की ढुलाई किस प्रकार के वाहनों से की जायेगी, बालू का दर क्या होगा एवं स्थानीय लोगों को बालू की दर में रियायत मिलेगी या नही। साथ ही इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था की जाये।

उत्तर– पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई के लिए वाहनों का इस्तेमाल निकासी सड़क के अनुसार की जायेगी। सड़क की चौड़ाई कम होने पर छोटी वाहन व सड़क की चौड़ाई ज्यादा होने पर बड़ी वाहनों का इस्तेमाल किया जा सकेगा। बालू घाट पर सूचना पट्ट लगाया जायेगा जिस पर सरकार द्वारा निर्धारित बालू की दर दर्शाया रहेगा। स्थानीय लोगों के लिए बालू दर में रियायत देने की कोई प्रावधान नहीं है।

सहायक पर्यावरण अभियंता, बि0रा0प्र0नि0 पर्षद द्वारा बताया गया कि बालू ढुलाई का रास्ता (सड़क) गाँव या आबादी से होकर नहीं जाना चाहिए नहीं तो आम जनता को काफी दिक्कत होता है। साथ–ही–साथ वैकल्पिक सड़क का भी पहचान किया जायेगा ताकि वाहनों की संख्या एवं परिवहन भार पर नियंत्रण रखा जा सके। स्थानीय लोंगो की शिकायतों का पूर्ण रूप से निष्पादन किया जायेगा। पट्टाधारक द्वारा सभी नियम एवं शर्त्तो का पूर्ण रूप से पालन कराया जायेगा। खनन कार्य से पर्यावरण को कोई क्षति न हो इसके लिए विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा।

पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू की ढुलाई गाँव/आबादी के बीच नहीं की जायेगी। वैकल्पिक सड़क की व्यवस्था की जायेगी। आम जनता को दिक्कत नहीं हो इसलिए विद्यालय आने–जाने के समय या भीड़–भाड़ होने के दौरान बालू की ढुलाई नहीं की जायेगी। उन्होंने बताया कि नदी के खनन क्षेत्र के 40 (चालीस) प्रतिशत हिस्सा में खनन कार्य नहीं किया जायेगा।

अध्यक्ष द्वारा लोक सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता द्वारा सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

29-9-20

सहायक पर्यावरण अभियंता
बि0.रा0.प्र0.नि0.पर्षद, गया।

29/9/20

अपर समाहर्ता (वि0जा0)
गया

उपस्थिति सूची

मे० कृष्णा प्रसाद, ग्राम-परेव, जिला-पटना द्वारा गया जिलान्तर्गत अंचल-इमामगंज के मोरहर नदी पर मोरहर घाट-39 से बालू खनन करने हेतु प्रखण्ड कार्यालय, इमामगंज, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई दिनांक **29.09.2020 (मंगलवार) को 11:00 बजे** पूर्वाह्न में उपस्थित महानुभावों की सूचीः

क्र० सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	संतोष कुमार श्रीवास्तव	अपर समाहर्ता विभाग गया	[signature] 29/9/20
2.	शम्भु नाथ झा सहायक पर्यावरण अभियंता	बि० रा० प्र० नि० पर्षद पटना	[signature] 29-9-20
3.	Dr. Jatin K. Srivastava Consultant	Lucknow-226017 UP	[signature] 29/09/2020
4.	Er. Nitish Kumar	Phulwari Sharif, Patna	Nitish Km
5.	JYOTISH KUMAR	Raja Bazar, Patna	Jyotish Km
6.	श्री कृष्णा प्रसाद.	ग्रा० + पो० - परेव.	श्री कृष्णा प्रसाद
7.	Md. Irshad	Imamganj (Gaya)	[signature]
8.	M-D Fusal Khan	gram Lawabar	[signature]
9.	Majid Alam	Lawabar	Majid
10.	Wahid Ansari	Lawabar	Wahid
11.	Ainos Ansari	Lawabar	Ainos
12.	Zafar. Ansari	Lawabar.	Zafar.
13.	Jasim Alam	Imamganj	[signature]
14.	Nahid Khan	Imamganj	Nahid Khan

15.	सन्नो कुमार	पहीव	सन्नो कुमार
16.	काशीप्रसाद	लोरवनपुर	काशीप्रसाद
17.	असराज	लावाबाद	असराज
18.	Sahel.	Lawabar.	Sahel
19.	Karamat Ansari	Lawabar	Karamat Ansari
20.	md. manjub Alam	Lawabar.	manjub.
21.	Md-Badsha Khan	Malhari-Sharif	Md Badsha
22.	आकिब खाँ	Malhari-Sharif	आकिब खाँ
23.	छोटू	लावाबर	छोटू
24.	सुधिर कुमार	कुम्हार	Sudhir Kumar
25.	संतोष कुमार	रानीगंज	Santosh
26.	सुनील कुमार	रानीगंज	Sunil
27.	रविकान्त सिंह	विश्रामपुर, इमामगंज	Ravikant
28.	जयप्रकाश प्रसाद	इमामगंज	जयप्रकाश प्रसाद
29.	प्रदीप सिंह	इमामगंज	प्रदीप सिंह
30.	Anandkumar	Imamaganj	Anandkumar
31.	ASHOK saha	रानीगंज	ASHOK
32.	वीरेन्द्र शर्मा	रानीगंज	[illegible]
33.	राम कुमार	इमामगंज C.O. Imamganj	[illegible] इमामगंज
34.	जयकिशान	प्रखण्ड विकास पदा० इमामगंज	[illegible] 29.9.20